



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण  
INSURANCE REGULATORY AND  
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(तृतीय पक्ष प्रशासक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016

(THIRD PARTY ADMINISTRATORS - HEALTH SERVICES) REGULATIONS, 2016

पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र  
CERTIFICATE OF RENEWAL OF REGISTRATION

पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. 002

Certificate of Registration No. 002

- मेसर्स **मेडवान्टेज इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड** तृतीय पक्ष प्रशासक का पंजीकरण बीमा अधिनियम 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष प्रशासक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के अधीन नवीकृत किया जाता है।
- The registration of M/s. **Medvantage Insurance TPA Private Limited** is hereby renewed as per provisions of Insurance Act 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and IRDAI (Third Party Administrators – Health Services) Regulations, 2016 to act as Third Party Administrator.
- यह पंजीकरण **21-03-2023 से 20-03-2026** तक विधिमान्य होगा।
- This Registration shall be valid from **21-03-2023 to 20-03-2026**.
- यह पंजीकरण इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि तृतीय पक्ष प्रशासक, बीमा अधिनियम 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष प्रशासक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016, उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये जानेवाले दिशानिर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों का पालन करेगा।
- This Registration is renewed subject to the condition that the TPA shall comply with all the provisions of the Insurance Act 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999), and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Third Party Administrators – Health Services) Regulations, 2016, the rules or regulations made there under and the Guidelines, Circulars & Directions issued by the Authority from time to time.

स्थान : हैदराबाद

Place : Hyderabad

तारीख: 27 - 01 - 2023

Date: 27 - 01 - 2023

कृते भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

For and on behalf of

Insurance Regulatory and Development Authority of India